Prof. Khushbu Kumari
Guest Teacher
Dept. of Political Science
V.S.J. College, Rajnagar, Madhubani, LNMU

Class- B.A- 3(H)
Paper - VI

Topic - अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का दृष्टिकोण (मार्टन कापलान)

Lecture - 2

(2) शिथिल द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था — द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था शक्ति-संतुलन का एक प्रकार है। इस द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था के दो प्रकार हैं — शिथिल और दृढ़। शिथिल द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था विश्व की वास्तविक स्थिति का विचार करती है और यह मानती है कि यद्यपि राष्ट्र प्रायः गुटों में बँटे होते हैं लेकिन किन्हीं विशेष मामलों पर वे विरोधी गुटों के साथ सहयोग कर सकते हैं। आवश्यकतानुसार अपने गुट के साथी राष्ट्रों से मतभेद रख सकते हैं, एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप भी लगा सकते हैं। यह युद्धोत्तर काल की शिथिल द्वि-ध्रुवीय शीत-युद्ध के मॉडल की तरह होती है। यहाँ गुट अपनी-अपनी क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए सार्वभौम कार्यकर्ता का समर्थन करते हैं तथा गुटों के मध्य युद्ध के खतरे को समाप्त करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। गुट अपनी-अपनी सदस्यता को बढ़ाने के प्रयत्न तो करते हैं साथ ही साथ गुट-निरपेक्ष कार्यकर्ताओं के प्रतिष्ठा स्तर को भी सहन करने की ओर प्रवृत्त होते हैं।

कापलान ने शिथिल द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था के निम्नलिखित बारह नियम बताये हैं—

Scanned with CamScanner

(1) पद सोपानीय तथा मिश्रित पद सोपानीय ढाँचों पर आधारित गुट दूसरे समान गुट को खत्म करना चाहते हैं।

(2) पद सोपानीय तथा मिश्रित पद सोपानीय ढाँचों पर आधारित गुट युद्ध के बदले समझौता करना, बड़े युद्ध के बदले छोटे युद्ध लड़ना तथा विपक्षी गुट को समाप्त करने में असफल होने के बजाय निर्धारित खतरों एवं लागत को ध्यान में रखते हुए बड़ी लड़ाई चाहेंगे।

(3) किसी गुट के सभी कर्ता दूसरे गुट के कर्ताओं की अपेक्षा अपनी क्षमता बढ़ाना चाहेंगे।

(4) अश्रृंखलाबद्ध ढाँचों पर निर्धारित गुट युद्ध के बदले समझौता करना, अपनी क्षमता बढ़ाना, क्षमता बढ़ाने में असफल होने पर छोटी लड़ाई लड़ना चाहेंगे, किन्तु वे हमेशा बड़ी लड़ाई से बचेंगे।

(5) सभी गुटों के कर्ता विपक्षी गुट के आधिपत्य जमाने देने के बजाय लड़ाई लड़ना चाहेंगे।

(6) सभी गुटों के लक्ष्य अपने विश्वव्यापी उद्देश्यों को गुट के उद्देश्यों के अधीनस्थ रखेंगे, किन्तु विपक्षी गुट के गुटीय उद्देश्यों को विश्वव्यापी उद्देश्यों के अधीनस्थ रखना चाहेंगे।

(7) सभी निर्गुट लक्ष्य अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को विश्वव्यापी उद्देश्य का समर्थन करने वाले कर्ताओं के साथ सम्बद्ध करना चाहेंगे।

(8) गुटों के कर्ता अपने गुट की लक्ष्यता में वृद्धि करना चाहेंगे।

Scanned with CamScanner

Page No.
Date

(9) गैर-गुटीय सदस्य दोनों गुटों के बीच हुई के क्रांति को कम करना चाहेंगे।

(10) विश्वव्यापी कर्ता की भूमिका अदा करने की स्थिति को छोड़कर अन्य स्थितियों में गैर-गुटीय कर्ता किसी भी गुट का समर्थन करना नहीं चाहेंगे।

(11) विश्वव्यापी उद्देश्यों के समर्थक कर्ता दोनों गुटों के पारस्परिक विरोध को कम करना चाहेंगे।

(12) विश्वव्यापी उद्देश्यों के समर्थक कर्ता और गैर-गुटीय सदस्यों को तब एकताबद्ध करना चाहेंगे जब कोई गुट प्रत्यक्ष रूप से शक्ति का प्रयोग जैसा कोई प्रतिकूलगामी कार्य करना चाहेंगे।

③ कठोर द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था —

कठोर या दृढ़ द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था को सभी राज्य स्पष्ट रूप से किसी न किसी गुट या ध्रुव के साथ सम्बद्ध रहते हैं संकट आने पर अपने-अपने गुट का पक्ष लेते हैं। इस सिद्धान्त को सहारा इस विचार से मिलता है कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में राज्य के लिए महत्व क्रियाशील कम है और इसी के द्वारा राष्ट्रीय हित साधन-सम्पन्न होता है। यह व्यवस्था एक प्रकार से शिथिल द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था का परिवर्तित रूप ही है जिसमें गुट-निरपेक्ष या तटस्थ तथा विश्वव्यापी उद्देश्यों के समर्थक सदस्यों को या तो भूमिका लोप हो जाता है या वे महत्वहीन हो जाते हैं।

Khushbu Kumari
10th sept. 2020

Scanned with CamScanner